

भोजशाला परिसर में खंडति मूर्तियाँ मली

चर्चा में क्यों?

हाल ही में मध्य प्रदेश के धार ज़िले में [भोजशाला/कमाल मौला मस्जिद परिसर](#) की स्थापना के लिये [भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण \(Archaeological Survey of India- ASI\)](#) द्वारा किये गए सर्वेक्षण के दौरान 39 खंडति मूर्तियाँ सहित 1,710 अवशेष पाए गए।

मुख्य बद्दि:

- हद्वि पक्ष **ASI** द्वारा संरक्षणित 11वीं शताब्दी के स्मारक भोजशाला को वाग्देवी (देवी सरस्वती) को समर्पित मंदिर मानते हैं, जबकि मुसलमि समुदाय इसे कमाल मौला मस्जिद कहते हैं।
- 7 अप्रैल, 2003 को ASI द्वारा की गई व्यवस्था के अनुसार, हद्वि मंगलवार को भोजशाला परिसर में पूजा करते हैं, जबकि मुसलमान शुक्रवार को इसी परिसर में नमाज अदा करते हैं।
- उच्च न्यायालय ने 11 मार्च, 2024 को **ASI** को छह सप्ताह के भीतर भोजशाला-कमाल मौला मस्जिद परिसर का "वैज्ञानिक सर्वेक्षण" करने का आदेश दिया था।
- वहाँ जो मूर्तियाँ प्राप्त हुईं उनमें वाग्देवी (सरस्वती), महषिसुर मर्दनी, गणेश, कृष्ण, महादेव, ब्रह्मा और हनुमान की मूर्तियाँ शामिल हैं।

भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण (Archaeological Survey of India- ASI)

- [संस्कृत मंत्रालय](#) के अंतर्गत ASI, देश की सांस्कृतिक वरिष्ठ के पुरातात्त्विक अनुसंधान और संरक्षण के लिये प्रमुख संगठन है।
- यह राष्ट्रीय महत्त्व के 3650 से अधिक प्राचीन स्मारकों, पुरातात्त्विक स्थलों और अवशेषों का प्रबंधन करता है।
- इसकी गतिविधियों में पुरातात्त्विक अवशेषों का सर्वेक्षण, पुरातात्त्विक स्थलों की खोज और उत्खनन, संरक्षणित स्मारकों का संरक्षण एवं रखरखाव आदि शामिल हैं।
- इसकी स्थापना वर्ष 1861 में ASI के पहले महानिदेशक [अलेक्जेंडर कनघिम](#) ने की थी। अलेक्जेंडर कनघिम को "भारतीय पुरातत्त्व के जनक" के रूप में भी जाना जाता है।